बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या–06 / निबंधन–13 / 2016 परि0..................../

प्रेषक,

बलराम प्रसाद
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार ।
सभी मोटरयान निरीक्षक, बिहार ।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **M/s Caparo Autotech Ltd. के उत्पाद E-Vahan Green (E-Rickshaw) Models का निबंधन के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/s Caparo Autotech Ltd. **के उत्पाद** E-Vahan Green (E-Rickshaw) Models के बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ उनके द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 के प्रावधान के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत ICAT, Haryana द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र सं0–CAKB0197 दिनांक–30.12.2015 के आधार पर बिहार राज्य में निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

1. निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली–1989 के नियम–126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र–22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम–93 के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करना होगा। एतद नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
2. वाहन के प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा ।
3. इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन के प्रतिवेदन / जाँच प्रतिवेदन / मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा ।
4. किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश प्राप्त किए बिना नहीं किया जाएगा ।
5. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम–1994 की धारा–6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगें तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगें ।
6. जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा–6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।
7. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।

विश्वासभाजन,
ह0 / –
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपि : सभी सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार / सभी परिवहन दण्डाधिकारी / सभी प्रवर्त्तन निरीक्षक / सभी अवर निरीक्षक / सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी को सूचनार्थ ।

ह0 / –
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : .... पटना, दिनांक : ....

प्रतिलिपिः–Authorised Signatory: For- M/s M/s Caparo Autotech Ltd. 7, Maruti J.V. Complex, Delhi Gurgaon Road, Haryana-122015 को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

P.T.O.

ज्ञापांक : 2067 पटना, दिनांक : 2/5/2016

प्रतिलिपि : I.T. Manager, परिवहन विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि विभागीय Website पर Type Approval का एक फोल्डर बनाकर इसमें इसकी Entry कर दी जाय ।

अवर सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

F:\6\Registration Format.Docx